

20¹⁰/₂₂

पत्रावली जेठ हूनी। वादीगण व वकीलवादी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवानी जतन
आवाज दिलवाने के उपरान्त भी वादीगण की
ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
वादीगण का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत फौरन
में खारिज किया जाता है। पत्रावली जेठ
शुक्रा होकर नम्बर से कद होकर दफ्तर वाकि
है।



(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नामकाथाना (सीकर)